न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—72/2019/75 (2019/00072)

1. हीरा पुत्र स्व0 चांदा पौत्र स्व0 कज्जा, जाति चीता, नि0 सोमलपुर, तह0 व जिला अजमेर जरिये मुख्तयारआम शहबुद्दीन पुत्र मोहम्मद नूर, जाति चीता नि0 सोमलपुर, तहसील व जिला अजमेर ।
2. रूपा पुत्र स्व0 चांदा पौत्र स्व0 कज्जा, जाति चीता, नि0 सोमलपुर, तह0 व जिला अजमेर (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— श्रीमती सायरी पत्नि रूपा जाति चीता,
   2/2— नसीर पुत्र रूपा, जाति चीता,
   2/3— सलीम पुत्र स्व0 रूपा,
   2/4— सईदा पुत्री रूपा, जाति चीता,
   2/5— रशीदा पुत्री रूपा, जाति चीता,
   2/6— रमजानी पुत्री रूपा, जाति चीता,
   2/1 से 2/6 जरिये मुख्तयारआम शहाबुद्दीन पुत्र मोहम्मद नूर, जाति चीता, नि0 सोमलपुर, तह0 व जिला अजमेर ।
   समस्त जरिये मुख्तयार आम साबुदीन पुत्र मौहम्मद नूर, जाति चीता, नि0 ग्राम सोमलपुर, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ।
2. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस**पोडेंटस**

4. श्रीमती कमला पुत्र स्व0 चांदा, जाति चीता, नि0 सोमलपुर, तह. व जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर, दिनांक 27.9.2013 आदेश क्रमांक क.अ./राजस्व/एफ—12 (सी)/13/292 .

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 .
3. श्री गिरीश पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—16.4.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश क्रमांक क.अ./राजस्व/एफ—12 (सी)/13/292 दिनांक 27.9.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश क्रमांक क.अ./राजस्व/एफ—12 (सी)/13/292 दिनाक 27.9.2013 द्वारा अन्य ग्राम की भूमियों के साथ ग्राम सोमलपुर, तहसील व जिला अजमेर के वर्किंग खसरा नंबर 3037 के वर्तमान खसरा नंबर 2931/4908 रकबा 0.79 है0 एवं खसरा नंबर 2930 रकबा 0.23 है0 की भूमियों को अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तांतरित किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर बहस करते हुए कथन किया कि चौसाला खसरा नंबर 2583 ग्राम सोमलपुर जिसके अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के खाता खतौनी संख्या 221 के अनुसार खातेदार चांदा पुत्र कज्जा जाति चीता दर्ज है जिनका स्वर्गवास हो चुका है जिनके दो पुत्र हीरा व रूपा कि इनमें से हीरा अपीलांट संख्या 1 है एवं रूपा का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान अपीलांटस है तथा वर्किंग खसरा नबर 3037 रकबा 6—6—00 के खातेदार हीरा व रूपा पि0 चांदा वर्किंग जमाबंदी के कॉलम नंबर 4 में दर्ज है जिसके वर्तमान खसरा नंबर 2931/4908 रकबा 0.79 है0 व खसरा नंबर 2930 रकबा 0.23 है0 बने है । अपीलाधीन भूमि हीरा व रूपा की बोपाती खातेदारी भूमि है तथा रूपा के स्वर्गवास के बाद उसके वारिसान की पुश्तैनी भूमि है जिस पर काबिज काश्त चले आ रहे है । अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुना नहीं गया है । अपीलाधीन आदेश से अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित हुए है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।
5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने धारा 96 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट का नियमित राजस्व वाद संख्या 97/2010 जो दिनांक 3.6.2015 को खारिज हो चुका है तथा अपीलांट व्यथित पक्षकार नहीं है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि सिवायचक होने से जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा दिनांक 27.9.2013 रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित की है । इस कारण अपीलांट को अपीलाधीन हस्तातंरण आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है ।
6. जवाब में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि नियमित वाद संख्या 97/2010 के विचाराधीन रहते हुए एवं हाजा न्यायालय के स्थगन के बाद दिनांक 27.9.2013 को लीस—पेण्डेसी के दौरान अपीलाधीन भूमियां हस्तातंरित की है जो अवैध है । अपीलांट द्वारा नियमित राजस्व वाद राजस्व कैम्प के दौरान दिनांक 3.6.2015 को निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय में नियमित राजस्व अपील संख्या 277/2015/223 (2015/00151) पेश की गई थी जो माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.4.2019 को आंशिक स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, अजमेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6. 2015 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः अधी0न्याया0 को साक्ष्य एवं

सुनवाई कर गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है । इस कारण अपीलांट व्यथित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

7. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि की वर्तमान जमाबदी की प्रमाणित प्रतिलिपि पटवारी हल्का से दिनांक 8.3.2019 को प्राप्त करने पर अपीलांटस को यह जानकारी हुई कि अपीलाधीन भूमि जिसे रेस्पो0 संख्या 2 के नाम अपीलाधीन आदेश के अनुसार वर्तमान जमाबंदी में दर्ज कर दी गई तब हुई । इसके उपरांत अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन दिनांक 12.2.2019 को प्रस्तुत किया जिस पर प्रमाणित प्रति दिनांक 25.2.2019 को प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है। अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

8. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 27.9.2013 को अजमेर जिले में अजमेर विकास प्राधिकरण का गठन हुआ और अजमेर विकास प्राधिकरण में जिन गांवों को शामिल किया गया उनकी सूचना सार्वजनिक रूप से सर्वविदित की गई इस कारण मियाद के संबंध में जानकारी की घटना दिनाक 27.9.2013 से मानी जावेगी । यह भी कथन किया कि हल्का पटवारी का शपथ पत्र संलग्न नहीं किया है इस कारण अपील मियाद बाहर होने से निरस्त की जावे ।

9. जवाब में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि अपीलांट अनपढ़, ग्रामीण परिवेश के काश्तकार व्यक्ति है एवं अजमेर विकास प्राधिकरण के गठन से अपीलाधीन भूमि के हस्तातंरण के आदेश से कोई संबंध नहीं है। अपीलाधीन भूमि का हस्तातंरण दौराने वाद एवं दौराने स्थगन आदेश बिना अपीलांट को सूचित किये रेस्पो0 संख्या 2 को किया गया है जिसकी जानकारी अपीलांट को हल्का पटवारी से जमाबंदी की प्रमाणित प्रति दिनांक 8.3.2019 को प्राप्त करने पर हुई तत्पश्चात् समयावधि में अपील पेश की गई है जिसमें स्वंय अपीलांट शहाबुद्दीन का शपथपत्र संलग्न है । दिनांक 8.3.2019 से पूर्व अपीलांट को आदेश की जानकारी नहीं रही तथा इस संबंध में रेस्पो0 द्वारा भी ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे यह साबित हो कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारंभ से रही हो । अपीलाधीन आदेश लीस–पेण्डेसी एवं माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के प्रभावी रहते किया गया है जो अवैध होने से ऐसे आदेश के विरूद्ध मियाद कोई मायने नहीं रखती है । प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलंब क्षम्य किया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जावे ।

10. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि चौसाला खसरा नंबर 2583 ग्राम सोमलपुर जिसके अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के खाता संख्या 221 के अनुसार खातेदार चांदा पुत्र कज्जा, जाति चीता दर्ज है जिनका स्वर्गवास हो चुका है जिनके दो पुत्र हीरा व रूपा कि इनमें से हीरा अपीलांट संख्या 1 है एवं रूपा का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान अपीलांटस है तथा वर्किग खसरा नंबर 3037 रकबा 6–6–00 के खातेदार हीरा व रूपा पि0 चांदा वर्किग जमाबंदी के कॉलम नंबर 4 में दर्ज है जिसके वर्तमान खसरा नबर 2931/4908 रकबा 0.79 है0 एवं खसरा नंबर 2930 रकबा 0.23 है0 बने है । उपरोक्त भूमि हीरा व रूपा की बापोती खातेदारी की भूमि है तथा रूपा के स्वर्गवास के बाद उसके वारिसान की पुश्तैनी भूमि है जिस पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । वर्तमान जमाबंदी में अपीलाधीन भूमि को भू–प्रबंध विभाग ने अवैधानिक रूप से सिवायचक

दर्ज कर दिया जिसका भू–प्रबधं विभाग को कोई अधिकार नहीं था । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांटस द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में अधी0न्याया0 के समक्ष खातेदार उद्धोषणा का वाद पेश किया था जिसे अधी0न्याया0 ने कैम्प कोर्ट में अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये खारिज कर दिया है जिसकी अपील भी हाजा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 9.12.2011 को विवादित भूमि से अपीलांटस को बेदखल नहीं करने एवं रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखने बाबत् आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया था इसके बावजूद हाजा न्यायालय के स्थगन आदेश के प्रभावी रहते विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 27.9.2013 के द्वारा विवादित भूमि को अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम हस्तातंरित करने के आदेश प्रदान कर दिये जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । बहस में यह भी कथन किया कि जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश की शर्त संख्या 7 में यह अंकित किया है कि यह आदेश हस्तातंरित आराजियात बाबत् किसी भी न्यायालय में लंबित वाद, स्थगन इत्यादि को अप्रभावित रखेगा । इस शर्त के अनुसार भी जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश अपीलाधीन भूमि की हद तक निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 27.9.2013 ग्राम सोमलपुर वर्किंग खसरा नंबर 3037 के वर्तमान खसरा नंबर 2931/4908 रकबा 0.79 है0 एवं खसरा नंबर 2930 रकबा 0.23 है0 की हद तक निरस्त किये जावे ।

11. जवाब बहस में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 3 एवं रेस्पो0 संख्या 2 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित भूमि सिवायचक होने से जिला कलक्टर, अजमेर ने रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित की है एवं वर्तमान में विवादित भूमि रेस्पो0 संख्या 2 के नाम दर्ज है । यह भी कथन किया कि अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

12. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

13. अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में जो कथन किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है क्योंकि विवादित भूमियां चौसाला जमाबंदी में अपीलांटस के पिता चांदा के नाम खातेदारी से दर्ज थी जिसे गलत तौर पर सिवायचक दर्ज करने पर अपीलांटस द्वारा विवादित भूमि के संबंध में राजस्व वाद संख्या 97/2010 हीरा बनाम सरकार प्रस्तुत किया गया जिसे राजस्व कैम्प के दौरान दिनाक 3.6.2015 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा निरस्त किये जाने पर अधी0न्याया0 के निर्णय के विरूद्ध हाजा न्यायालय में अपील संख्या 277/2015 (2015/00151) पेश की गई जो हाजा न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.4.2019 द्वारा अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0को साक्ष्य एवं सुनवाई की जाकर गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है । पत्रावली के अवलोकन एवं बहस से यह भी स्पष्ट है कि दौराने हस्तातंरण आदेश के रोज अधी0न्याया0 के समक्ष विवादित भूमि के संबंध में राजस्व वाद विचाराधीन था एवं हाजा न्यायालय का स्थगन आदेश भी प्रभावी था । वाद दिनांक 3.6.2015 को दौराने कैम्प निरस्त किया जिसकी भी अपील हाजा न्यायालय में किये जाने पर हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 के

निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.2015 को निरस्त कर प्रकरण अधी0न्याया0 का प्रतिप्रेषित किया गया है इस कारण रेस्पो0 संख्या 2 का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है वाद विचाराधीन नही रहा । अपीलांटस अपीलाधीन आदेश से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार प्रमाणित होते है जिन्हें न्यायहित में सुना जाना आवश्यक है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.9.2013 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

14. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था जबकि विवादित भूमियां अपीलांटस के पिता के नाम चौसाला जमाबंदी में खातेदारी से दर्ज है । अपीलांटस को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांटस को प्रारंभ से होना नहीं माना जा सकता है । विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 का यह तर्क भी स्वीकार्य योग्य नहीं है कि दिनांक 27.9.2013 को अजमेर जिले में अजमेर विकास प्राधिकरण का गठन हुआ और अजमेर विकास प्राधिकरण में जिन गांवों को शामिल किया गया उनकी सूचना सार्वजनिक रूप से सर्वविदित की गई इस कारण मियाद के संबंध में जानकारी की घटना दिनाक 27.9.2013 से मानी जावेगी क्योंकि अपीलांट ग्रामीण परिवेश के अनपढ काश्तकार है तथा रेस्पो0 संख्या 2 के द्वारा जारी विज्ञप्ति अजमेर विकास प्राधिकरण के गठन के सबंध में है न कि विवादित भूमि के हस्तातंरण के संबंध में। हस्तातंरण के रोज नियमित राजस्व वाद एवं हाजा न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी थे एवं राज्य सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व वाद एवं स्थगन आदेश में पक्षकार थे इसके बावजूद बिना अपीलांट को नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर दिये विवादित भूमियां रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित की है जिसकी जानकारी अपीलांट को हल्का पटवारी से दिनांक 8.3.2019 को होना बताया है जो उचित प्रतीत होता है। इस संबंध में अपीलांट ने स्वंय का शपथ पत्र भी पेश किया है जिस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है । जहां तक पटवारी के शपथ पत्र का प्रश्न है चूंकि पटवारी राजकीय कर्मचारी है जो किसी के कहने से शपथ पत्र क्यों देगा जबकि अपीलांट द्वारा सशपथ कथन किया गया है कि हल्का पटवारी से जमाबंदी से प्रतिलिपि दिनाक 8.3.2019 को प्राप्त करने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई है । रेस्पो0 द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं कि जिससे यह सिद्ध हो कि अपीलीांट ने उक्त दिनांक को जमाबंदी की नकल प्राप्त नहीं की हो तथा इससे पूर्व आदशे की जानकारी अपीलांट को रही हो । अपीलांटस द्वारा विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक है । अतः न्यायहित में विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

15. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमियां चौसाला खसरा नंबर ग्राम सोमलपुर अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के खाता खतौनी संख्या 221 के अनुसार चांदा पुत्र कज्जा जाति चीता के नाम दर्ज होना प्रमाणित पाया जाता है । मिलान क्षैत्रफल के अवलोकन अनुसार चौसाला खसरा संख्या 2583 के वर्किग खसरा नंबर 3037 रकबा 6–6–00 बीघा बनना प्रमाणित है । चांदा पुत्र कज्जा के स्वर्गवास होने पर वर्किग जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 में हीरा व रूपा पि0 चांदा खातेदार काश्तकार दर्ज है। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार वर्किग जमाबंदी के वर्तमान खसरा नंबर 2931/4908 रकबा 0.79 है0 एवं खसरा नंबकर 2930 रकबा 0.23 है0 बनना प्रमाणित होता है । वर्तमान जमाबंदी में चौसाला एवं वर्किग जमाबंदी के विपरीत अपीलाधीन भूमि सिवायचक गलत दर्ज किये जाने के कारण अपीलांटस द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में नियमित राजस्व वाद

संख्या 97/2010 हीरा व अन्य बनाम राज0सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर पेश किया गया था जो विचाराधीन चल रहा था तथा उसी वाद में धारा 212 राज0काश्त0अधि0 की अपील में हाजा न्यायालय द्वारा अपील संख्या 540/2011 हीरा व अन्य बनाम राज0सरकार जरिये तहसीलदार में हाजा न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 9.12.2011 को पारित कर रेस्पो0 राज0 सरकार को इस अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर रखा था कि अपीलांटस को विवादित भूमि से बेदखल नहीं करे तथा राजस्व एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । न्यायालय हाजा का उक्त स्थगन आदेश प्रभावी रहते हुए एवं राजस्व वाद के विचाराधीन रहते जिसमें स्वंय राज0 सरकार पक्षकार है इसके बावजूद जानकारी होते हुए विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने विवादित भूमियां अविधिक रूप से रेस्पो0 संख्या 2 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तातंरित करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् नहीं माने जा सकते है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश की शर्त संख्या 7 में भी स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित किया गया है कि यह आदेश हस्तातंरित आराजियात बाबत् किसी भी न्यायायलय में लंबित वाद, स्थगन इत्यादि को अप्रभावित रखेगा । उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित है कि अपीलाधीन भूमियां चौसाला जमाबंदी एवं वर्किग जमाबंदी में अपीलांटस की खातेदारी भूमि रही है जिसे भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारिता के सिवायचक दर्ज करने के कारण अपीलांटस द्वारा वर्ष 2010 में ही नियमित वाद 97/2010 प्रस्तुत कर दिया जो विचाराधीन रहा एवं हाजा न्यायालय द्वारा रेस्पो0संख्या 1 को स्थगन आदेश पारित कर पाबंद किया गया था इसके बावजूद विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने विवादित भूमि रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित की है जिससे अपीलाधीन आदेश अपीलाधीन भूमियों की हद तक अविधिक होने से निरस्त योग्य पाया जाता है ।

16. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक क.अ./राजस्व/एफ–12 (सी)/13/292 दिनांक 27.9.2013, ग्राम सोमलपुर, तहसील व जिला अजमेर भूमि चौसाला खसरा संख्या 2583 वर्किग खसरा संख्या 3037 रकबा 6–6–00 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नंबर 2931/4908 रकबा 0.79 है0 एवं खसरा संख्या 2930 रकबा 0.23 है0 की हद तक निरस्त किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

17. निर्णय आज दिनांक 16.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर